सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण Making Oath by Members

(अनु. 188) – MLA/MLC

- शपथ का प्रारूप ⇒ अनुसूची (schedule) - 3
- शपथ राज्यपाल द्वारा दिलायी जाती है।

अधिवेशन और गणपूर्ति (Meeting and Quorum)

किसी भी सदन की कुल सदस्य संख्या का $\times \frac{1}{10}$

(विधायी प्रक्रिया (Legislative Procedure)

⇒ साधारण विधेयक
Ordinary Bill

⇒ Money Bill धन विधेयक ⇒ कहां पेश होगा ? ⇒ केवल विधानसभा में

⇒ किसकी पूर्वानुमति के बाद पेश होगा ? ⇒ राज्यपाल

⇒ विधानपरिषद् इसे कितने दिन अपने पास रख सकती है? ⇒ 14 day's

साधारण विधेयक

Ordinary Bill ⇒ कहां पेश होगा ? ⇒ किसी भी सदन में (In either House) ⇒ विधानसभा / विधानपरिषद

e.g. ⇒ **विधानसभा में पेश** (Introduced in LA)

→ चर्चा (Debate)

→ पारित → साधारण बहुमत (Simple Majority)

↳ **विधानपरिषद्** → पेश, चर्चा

→ पारित - साधारण बहुमत

इनमें से अगर किसी भी शाखा का प्रयोग करेगी तो पुनः के पश्चात् बिल अपने आप पारित।

- अस्वीकार (Reject)
- → ऐसा संशोधन करे जिससे विधानसभा सहमत न हो।
- → 6 माह तक बिल को अपने पास रखे।

Note: → विधानपरिषद् विधानसभा द्वारा पारित किसी भी Bill को समाप्त नहीं कर सकती।

९८ ⇒ विधानपरिषद् में पेश
चर्चा, पारित - साधारण बहुमत

⇓

विधानसभा → पेश, चर्चा

← पारित / अस्वीकार / ऐसे संशोधन करेगी जिससे विधानपरिषद् सहमत न हो / ५ माह तक बिल अपने पास रखे।

Art २००
↓
राज्यपाल

- हस्ताक्षर ✓
- हस्ताक्षर करने से मना
- पुनर्विचार के लिए वापस
- राष्ट्रपति के लिए आरक्षित

⇓

इन शक्तियों का प्रयोग यदि विधानसभा, विधानपरिषद् द्वारा पारित विधेयकों पर करती है, तो बिल समाप्त हो जाता है।

⇓

इस प्रकार विधानसभा, विधानपरिषद् द्वारा पारित विधेयकों को समाप्त कर सकती है।

भारत का निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

⇓

Part (भाग) → 15, Art. 324-329

→ संवैधानिक निकाय (constitutional body)

→ स्थापना ⇒ 25 Jan. 1950

⇓

मतदाता दिवस (voter's day)

⇒ निर्वाचन लोकतंत्र का आधार होता है। (Base of Democracy → election)

Art. 326 ⇒ कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जिसकी आयु (Age) 18 या 18 वर्ष से अधिक है, मतदान कर सकता है।

⇒ पहले मतदान की आयु २१ वर्ष थी जिसे 61 CA 1989 के द्वारा घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया।

⇒ मतदान का अधिकार (Right of voting) → वैधानिक अधिकार (Legall Right) है। यह संवैधानिक (Constitution) / मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) नहीं है।

⇒ निर्वाचन आयोग का गठन (composition of election commission) → Art. 324

→ 1989 से पहले यह एकल सदस्यीय निकाय (Single member body) था।

⇒ पहली बार 1989 में इसे बहुसदस्यीय निकाय (Multi member body) बनाया गया।

एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त
(one - chief election commissioner and other election commissioner)] वर्तमान में ऐसा ही है।

⇒ मुख्य निर्वाचन आयुक्त
अन्य " " > नियुक्ति → राष्ट्रपति द्वारा (By the President)

⇒ कार्यकाल (Tenure) → मुख्य निर्वाचन आयुक्त → 6 वर्ष / 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो।
→ अन्य " " ↳ 6 वर्ष / 62 वर्ष की आयु

⇒ त्यागपत्र (Resignation) ⇒ राष्ट्रपति को

⇒ हटाने की प्रक्रिया (Removal Process) → मुख्य निर्वाचन आयुक्त (chief election commissioner)
⇒ इन्हें उसी प्रकार पद से हटाया जाता है, जिस प्रक्रिया से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है।

अन्य निर्वाचन आयुक्त => मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।

निर्वाचन आयोग के कार्य / शक्तियाँ (Powers/Junction's of election commission)

(1) मुख्य कार्य निर्वाचनों का संचालन करना
Main Junction. Conduct of the election —

① राष्ट्रपति → President
② उपराष्ट्रपति → Vice-President
③ LS
④ RS
⑤ विधानसभा → Legislative Assembly
⑥ विधानपरिषद् → Legislative Council